

**बिहार सरकार**  
**मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग, कैमूर (भभुआ)**

**आम नीलामी सूचना**


एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कैमूर जिलान्तर्गत विभिन्न थाना काण्डों/उत्पाद वादों में राज्यसात किए गए निम्न वाहनों को बिहार मद्य-निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के सुसंगत प्रावधानों के तहत आम नीलामी (Public Auction) दिनांक 22 फरवरी 2018 को सनाहरणालय सभा कक्ष, भभुआ में 11:00 बजे से की जाएगी।

क्रम सं०	काण्ड/उत्पाद वाद संख्या	वाहन का प्रकार	निबंधन/चेसिस संख्या	मूल्यांकन राशि (रुपया में)	अग्रधन की राशि (10%)
1.	दुर्गावती थाना (काण्ड संख्या 25/17)	मोटरसाइकिल	UP67E-6720	28,000.00	2,800.00
2.	दुर्गावती थाना (काण्ड संख्या 39/17)	मोटरसाइकिल	BR24R-5649	15,000.00	1,500.00
3.	दुर्गावती थाना (काण्ड संख्या 40/17)	मोटरसाइकिल	BR24T-3872	24,000.00	2,400.00
4.	दुर्गावती थाना (काण्ड संख्या 99/17)	अल्टो 800 कार	BR24N-7744	1,20,000.00	12,000.00
5.	दुर्गावती थाना (काण्ड संख्या 160/17)	कंटेनर ट्रक	HR69B-0768	10,00,000.00	1,00,000.00
6.	दुर्गावती थाना (काण्ड संख्या 240/17)	मोटरसाइकिल	BR45A-3559	27,000.00	2,700.00
7.	दुर्गावती थाना (काण्ड संख्या 254/17)	मोटरसाइकिल	UP90D-1851	25,000.00	2,500.00
8.	दुर्गावती थाना (काण्ड संख्या 255/17)	मोटरसाइकिल	BR45A-5150	45,000.00	4,500.00
9.	दुर्गावती थाना (काण्ड संख्या 256/17)	ऑटो	BR45P-2758	60,000.00	6,000.00
10.	दुर्गावती थाना (काण्ड संख्या 261/17)	मोटरसाइकिल	UP67F-4267	25,000.00	2,500.00
11.	दुर्गावती थाना (काण्ड संख्या 277/17)	इंडिका कार	UP15Y-3189	1,50,000.00	15,000.00
12.	दुर्गावती थाना (काण्ड संख्या 283/17)	माहिन्द्रा जाइलो	UP67E-0007	4,00,000.00	40,000.00
13.	दुर्गावती थाना (काण्ड संख्या 294/17)	स्वीफ्ट डिजायर कार	JH24B-9716	6,50,000.00	65,000.00
14.	दुर्गावती थाना (काण्ड संख्या 306/17)	मोटरसाइकिल	UP67J-6545	35,000.00	3,500.00
15.	दुर्गावती थाना (काण्ड संख्या 307/17)	टाटा स्टार बस	UP65AT-8924	9,00,000.00	90,000.00
16.	चौद थाना (काण्ड संख्या 1/17)	मोटरसाइकिल	UP65AL-3936	28,000.00	2,800.00
17.	चौद थाना (काण्ड संख्या 212/16)	मोटरसाइकिल	UP65BQ-0807	18,000.00	1,800.00
18.	चौद थाना (काण्ड संख्या 199/16)	मोटरसाइकिल	UP65AP-4129	20,000.00	2,000.00
19.	चौद थाना (काण्ड संख्या 198/16)	मोटरसाइकिल	BR45B-1566	15,000.00	1,500.00
20.	चौद थाना (काण्ड संख्या 260/17)	लूना	BR45F-4613	18,000.00	1,800.00

21.	चौद थाना (काण्ड संख्या 265/17)	मोटरसाईकिल	UP67M-9024	30,000.00	3,000.00
22.	चौद थाना (काण्ड संख्या 50/17)	मोटरसाईकिल	UP65BL-1517	45,000.00	4,500.00
23.	चौद थाना (काण्ड संख्या 79/17)	मोटरसाईकिल	BR45C-4430	35,000.00	3,500.00
24.	चौद थाना (काण्ड संख्या 269/17)	मोटरसाईकिल	BR45B-2940	30,000.00	3,000.00
25.	चौद थाना (काण्ड संख्या 180/17)	स्कूटी	UP67K-8350	40,000.00	4,000.00
26.	चौद थाना (काण्ड संख्या 185/17)	मोटरसाईकिल	KA04EA-7683	18,000.00	1,800.00
27.	चौद थाना (काण्ड संख्या 195/17)	लूना	UP65BU-6873	15,000.00	1,500.00
28.	चौद थाना (काण्ड संख्या 227/17)	मोटरसाईकिल	BR45C-5053	40,000.00	4,000.00
29.	चौद थाना (काण्ड संख्या 227/17)	मोटरसाईकिल	BR24S-5691	80,000.00	8,000.00
30.	चौद थाना (काण्ड संख्या 238/17)	मोटरसाईकिल	BR45L-8572	35,000.00	3,500.00
31.	चौद थाना (काण्ड संख्या 110/16)	बोलेरो	UP65AN-7678	3,50,000.00	35,000.00
32.	चौद थाना (काण्ड संख्या 218/16)	मोटरसाईकिल	UP65BM-4640	35,000.00	3,500.00
33.	चौद थाना (काण्ड संख्या 261/17)	मोटरसाईकिल	BR45H-5273	50,000.00	5,000.00
34.	चौद थाना (काण्ड संख्या 244/17)	मोटरसाईकिल	BR45B-7328	25,000.00	2,500.00
35.	चौद थाना (काण्ड संख्या 166/17)	मोटरसाईकिल	UP67J-2047	15,000.00	1,500.00
36.	चौद थाना (काण्ड संख्या 195/17)	मोटरसाईकिल	BR45F-5797	35,000.00	3,500.00
37.	चौद थाना (काण्ड संख्या 195/17)	मोटरसाईकिल	UP65M-3424	35,000.00	3,500.00
38.	कुदरा थाना (काण्ड संख्या 183/16)	कार	MH43AB-0178	1,20,000.00	12,000.00
39.	भभुआ थाना (काण्ड संख्या 715/16)	मोटरसाईकिल	BR04A-9275	40,000.00	4,000.00
40.	भभुआ थाना (काण्ड संख्या 452/17)	मोटरसाईकिल	BR45F-6041	32,000.00	3,200.00
41.	भभुआ थाना (काण्ड संख्या 475/17)	स्कूटी	UP65BK-8863	25,000.00	2,500.00
42.	भभुआ थाना (काण्ड संख्या 689/17)	मोटरसाईकिल	BR45H-3561	35,000.00	3,500.00
43.	भभुआ थाना (काण्ड संख्या 699/17)	मोटरसाईकिल	BR24E-2156	29,000.00	2,900.00
44.	अधौरा थाना (काण्ड संख्या 14/17)	मोटरसाईकिल	BR45E-8430	30,000.00	3,000.00
45.	अधौरा थाना (काण्ड संख्या 38/17)	पीक-अप	UP64H-6734	1,20,000.00	12,000.00
46.	उत्पाद (वाद संख्या 67/17)	मोटरसाईकिल	UP66A-8616	8,000.00	800.00


47.	उत्पाद (वाढ संख्या 66/17)	मोटरसाइकिल	UP63S-6449	35,000.00	3,500.00
48.	उत्पाद 	ट्रक	UP21N-6080	9,00,000.00	90,000.00
49.	उत्पाद (वाढ संख्या 83/17)	मोटरसाइकिल	BR24F-0775	20,000.00	2,000.00
50.	उत्पाद (वाढ संख्या 1828/17)	ट्रक	HR55E-1719	8,00,000.00	80,000.00
51.	उत्पाद (वाढ संख्या 106/16)	ट्रक	HR46C-4244	7,00,000.00	70,000.00
52.	उत्पाद (वाढ संख्या 159/16)	ट्रक	G52Z-5050	7,00,000.00	70,000.00
53.	उत्पाद (वाढ संख्या 179/16)	मोटरसाइकिल	UP67D-6261	8000.00	800.00
54.	उत्पाद (वाढ संख्या 85/17)	मोटरसाइकिल	BR45E-4304	40,000.00	4,000.00

1. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को तालिका में वर्णित वाहनों के सामने अंकित अग्रधन की राशि नीलामी के दो दिन पूर्व तक किसी कार्य दिवस को अधीक्षक उत्पाद, कैमूर (भभुआ) के कार्यालय में नगद/बैंक ड्राफ्ट/नाजिर रसीद के रूप में जमा करना होगा।
2. नीलामी में सफल व्यक्ति का अग्रधन नीलामी की तय राशि में समायोजित कर ली जायेगी तथा असफल व्यक्तियों को जमा अग्रधन की राशि वापस कर दी जायेगी।
3. नीलामी में सफल व्यक्तियों को नीलामी की राशि नीलामी के तीन कार्यदिवसों के भीतर अधीक्षक उत्पाद, कैमूर (भभुआ) के कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि जप्त कर, नीलामी रद्द कर दी जायेगी।
4. समिति सफल क्रेता के नाम से वाहन का निबंधन कराने के निमित्त मात्र नीलामी कर दिये जाने का पत्र निर्गत करेगी। वाहन संबंधी कागजात बनाने की जिम्मेवारी नीलामी प्राप्त करने वाले क्रेता की होगी। वाहन का पूर्व से निबंधित कागजात देने के लिए समिति बाध्य नहीं होगी तथा वाहन को सभी प्रकार के भार (Free off all encumbrances) से मुक्त मानते हुये नीलामी की जाएगी।
5. नीलामी में सफल क्रेता को नियमानुकूल सभी करों का भुगतान करना होगा।
6. नीलामी जो है, जहाँ है, जैसा है, के आधार पर किया जायेगा तथा किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
7. इच्छुक व्यक्ति संबंधित वर्णित उत्पाद/पुलिस थानों में जाकर वाहनों को देख सकते हैं।
8. अधिकतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को ही पूर्व भुगतान के आधार पर वाहन दिया जायेगा। नीलामी समिति का निर्णय अंतिम होगा।
9. किसी भी वाहन या सभी वाहनों की नीलामी बिना कारण रद्द करने की शक्ति नीलामी समिति के पास सुरक्षित होगी।
10. विशेष जानकारी के लिए कार्यालय अधीक्षक उत्पाद, कैमूर (भभुआ) से संपर्क किया जा सकता है। दिनांक 22.02.2018 को नीलामी के उपरांत शेष बचे वाहनों की आम नीलामी दिनांक 08.03.2018 को समाहरणालय सभा कक्ष, भभुआ में 11:00 बजे से की जाएगी।

  
 जिल्हा दण्डाधिकारी-सह-  
 समाहर्ता, कैमूर (भभुआ)।

ज्ञापांक.....137...../दिनांक.....06/02/.....2018

- प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उपर्युक्त तिथियों में राज्यसात वाहनों की आम नीलामी शांतिपूर्ण ढंग से संचालन एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु 10:30 बजे पूर्वाह्न से नीलामी समाप्ति तक सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाये।
- प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता/कमिटी के अन्य सदस्यों, कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से प्रचार-प्रसारार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- निरीक्षक उत्पाद, भभुआ-सह-मोहनियाँ क्षेत्र/सभी अ0नि0उ0/मालखाना प्रभारी, उत्पाद मालखाना, भभुआ अंचल को सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि राज्यसात किये गये इन वाहनों को केताओं को दिखाने हेतु किसी विशेष चिन्ह से चिन्हित करें ताकि आनेवाले केताओं को राज्यसात वाहन को देखने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
- प्रतिलिपि:- संबंधित थाना प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- कमिटी से संबंधित लिपिकों को सूचनार्थ एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि समाहरणालय/जिला परिषद स्थित नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को इसकी प्रति प्रचार-प्रसार हेतु भेजना सुनिश्चित करेंगे।

  
जिला दण्डाधिकारी-सह-  
समाहर्ता, कैमूर (भभुआ)।